ए. एल. बहरी, जे.

चंद्र भान अरोड़ा और अन्य - ***याचिकाकर्ता।***

बनाम

कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़ - ***उत्तरदाता।***

संशोधित सिविल रिट याचिका सं 2008 **1988 का 10456 ।**

25 जुलाई, 1989

भारत का संविधान / 1950- *कला* 14. 16, 39 और 226 - समान कार्य के लिए समान वेतन - वेतन में भेदभाव - पंजाब विश्वविद्यालय में कार्यरत रिसर्च फेलो और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में पीजीआई को विज्ञान और *प्रौद्योगिकी* मंत्रालय, भारत सरकार *द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट्स में अन्य रिसर्च फेलो की तुलना में कम भुगतान किया जा रहा है - भेदभाव* के बराबर - वेतन की *समानता के हकदार।*

माना कि नौकरी करने के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के साथ-साथ पीजीआई में अन्य परियोजनाओं पर उनके समकक्षों को उच्च पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। केंद्र शासित प्रदेश की ओर से उच्च पारिश्रमिक से इनकार। चंडीगढ़ में यह कठोर तकनीकी है कि संघशासित प्रदेश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का पारिश्रमिक दिशानिर्देशों से स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है, यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित मामलों में देखा है। भेदभाव को मिटाने के लिए अनुसंधान के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनुसंधान के इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपेक्षित निधियां निर्धारित करना कोई संकोच नहीं होगा ताकि भेदभाव को समाप्त किया जा सके। यह कहने की जरूरत नहीं है कि समान लोगों के बीच वेतन आदि के मामले में भेदभाव बहुत निराशा

चंदर भान अरोड़ा और अन्य ***बहुत।*** कुलपति, पंजाब
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (ए.एल. बहरी, जे।)

का कारण बनता है जो अंततः अपेक्षित परिणामों को प्रभावित कर सकता है। यह चंडीगढ़ प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के बीच तय किया जाना है कि उपरोक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत चंडीगढ़ प्रशासन को पूरी तरह से वित्त पोषित करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए कौन है। हालांकि, मूल स्तर पर, चंडीगढ़ प्रशासन कोइस मामले में भेदभाव पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका , *जिसमें प्रार्थना की गई है कि: –*

(i) *यह माननीय न्यायालय एक महीने की अवधि के भीतर कदम उठाने के लिए अभियोगकर्ताओं* को एक रिट ऑफ मैंडमस या *कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश* जारी कर सकता है /

31 *दिसंबर,* 1988 से पहले का कोई भी मामला, 1 अप्रैल, 1987 से प्रभावी या याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की *तारीख से, जोभी बाद में पैरा 6 में दिए गए विवरण के अनुसार हो, साथी जहाजों और संबद्ध लाभों की संशोधित दरों को जारी* करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ *बाजार दर पर ब्याज का भुगतान* कम से कम 18 *बजे करने के लिए किया जाए।1 अप्रैल, 1987 से याचिकाकर्ताओं को वैध और कानूनी रूप से देय भुगतान पर प्रतिशत की दर* से भुगतान किया गया है क्योंकि इसमें *अब तक उचित रूप से देरी नहीं हुई* है;

(ii) *याचिकाकर्ताओं कोअनुलग्नक* ो की मूल प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए;

(i) याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों को रिट याचिका की अग्रिम सूचना देने से छूट दी जाए;

(iv) *माननीय न्यायालय कृपया कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे औरप्रासंगिक* रिकॉर्ड की जांच के लिए भी कह सकता है;

(v) *यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं को अन्य सभी परिणामी राहत भी प्रदान कर सकता है; और*

(vi) *याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की लागत भी दी जा सकती है।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील जी. एल. सदाना।

पी. एस. गोराया, एडवोकाटे, उत्तरदाता *संख्या 10 के लिए*। 1.

डी. एस. नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता और चारू तुली, अधिवक्ता, प्रतिवादी *संख्या 100 के लिए*। 2.

अशोक भान, सीनियर एडवोकेट राकेश गर्ग, एडवोकेट, *रेस्पोनडेंट नंबर के लिए*। 3.

हरफूल सिंह बराड़, एडवोकेट पी.एस. तेजी, एडवोकेट, रिस्पॉन्डेंट *नंबर 10 के लिए*। 4.

निर्णय

ए. एल. बहरी, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर इस रिट याचिका में, पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई, चंडीगढ़ में रिसर्च फेलो के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित 1 अप्रैल, 1987 से रिसर्च फेलो की संशोधित दरों का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट के लिए प्रार्थना की।

(2) याचिकाकर्ताओं को कुलपति के अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर के रूप में नियुक्त किया गया था और उचित चयन के बाद पीजीआई में नियुक्त किया गया था। कुछ याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति पत्र अनुपत्र पी.एल./1-3 हैं। उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई द्वारा क्रमशः 800 रुपये और 1,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहाथा। याचिकाकर्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की परियोजनाओं के तहत अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और इन परियोजनाओं के संबंध में भी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए बजट भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । अन्य परियोजनाओं को अन्य अनुसंधान और विकास एजेंसियों जैसे यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर., आई.सी.एम.आर., आई.सी.ए.आर., डी.ओ.ई. और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र सरकार के माध्यम से प्रायोजित और वित्त पोषित किया जाता है। स्कोलआर्शिप की दरें बहुत समय पहले तय की गई

थीं। इन्हें भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अनुलग्नक पी.2, पी.3 और पी.4 के अनुसार संशोधित किया गया था। इन सिफारिशों को - निम्नानुसार संशोधित किया गया था -

1. जूनियर रिसर्च फेलो 1800 रुपये)

2. सीनियर रिसर्च फेलो 2100 रुपये)

(3) विशेष परियोजनाओं के लिए, उच्च ग्रेड भी प्रदान किए गए थे। जैसा कि अनुबंध पी.2 से स्पष्ट है, केन्द्र सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि परिलब्धियों में संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का 50 प्रतिशत मंत्रालय/भारत सरकार के प्रस्थान के स्वीकृत अनुदान के भीतर समाहित किया जाना था जो अनुसंधान और विकास वित्तपोषण योजनाओं को प्रायोजित कर रहा है और शेष राशि पर वित्त मंत्रालय द्वारा कुल को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रत् येक मंत्रालय का बजटीय विवरण। इन दिशा-निर्देशों का उपयोग सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी. आदि द्वारा भी किया जाना था। इसी आशय के लिए, सरकार के निर्णय की-सूचना समाचार पत्रों में दी गई थी, जिसका निष्कर्ष अनुपत्र पी.5 और पी.6 में दिया गया था। शोधार्थियों की ओर से भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजे गए थे, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी7 और विधिक नोटिस की प्रति अनुलग्नक पी8 के रूप में दी गई थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर, याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। पीजीआई की ओर से, यह रुख अपनाया गया है कि नियुक्तियांविज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थीं। ऐसी परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारियों को केवल निश्चित वेतन स्वीकार्य था जो वित्त और योजना विभाग, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ से उनके द्वारा प्राप्त बजटीय प्रावधानों के भीतर था। याचिकाकर्ता चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। वे पीजीआई के कर्मचारी नहीं थे।

वे संबंधित जांचकर्ताओं के कर्मचारी थे। याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान किया जा रहा था क्योंकि विज्ञानऔर प्रौद्योगिकी परिषद विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा निवेशकों को धन उपलब्ध कराया गया था। यह भी आग्रह किया गया था कि इस तरह के विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, प्रतिवादी संख्या 3 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* आरोप लगाया गया कि रिसर्च फेलो का चयनअनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करने वाले संबंधित संस्थानों द्वारा किया जा रहा था। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित परियोजनाओं पर शोध कार्य कर रहे थे। इस बात से इनकार किया गया किभारत सरकार इन परियोजनाओं के संबंध में बजट आवंटित कर रही थी। उक्त परिषद ने 2 फरवरी, 1989 को आयोजित बैठक में रिसर्च फेलो की परिलब्धियों को संशोधित करते हुए 1 फरवरी, 1989 से 1500 रुपये प्रति माह की दर से उन्हें रिसर्च स्कोल र्स के रूप में वर्णित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश (अनुलग्नक पी.2 से पी.4) प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं थे। इन्हें प्रशासन द्वारा नहीं अपनाया गया था। वे उक्त मंत्रालय या अनुसंधान और विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर लागू थे, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से सीधे सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। लिखित बयान के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ए' परिषद का गठन देता है। अनुलग्नक 'ख' सचिव, वित्त एवं योजना, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा अनुसंधान अध्येताओं की दरों में संशोधन करने के लिए परिषद को भेजे गए पत्र की प्रति है। अनुबंध 'सी' परिषद की उप-समिति की बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित है, जिसमें परिलब्धियों के रूप में 1,200 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की ओर से 22 फरवरी, 1989 को एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पंजाब विश्वविद्यालय उन तारीखों से संशोधित दरों पर किसानों को भुगतान करेगा जो कि राज्य प्रायोजित प्रायोजकों यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय प्रत्येक शोध योजना या परियोजना से जुड़े नियमों और शर्तों से बाध्य था।चूंकि विज्ञान और

चंदर भान अरोड़ा और अन्य ***बहुत।*** कुलपति, पंजाब
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (ए.एल. बहरी, जे।)

प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों से, यह धारणा एकत्र की गई थी कि ऐसी परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित किया जा रहा था, इसलिए भारत संघ को एक पक्ष बनाया गया था। नोटिस मिलने के बाद भारत सरकार के स्थायी वकील हरफूल सिंह बराड़ पेश हुए। यद्यपि कोई लिखित वक्तव्य दायर नहीं किया गया है, तथापि उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं में पेटिशनरों कोतैनात किया गया है, वे केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र/राज्य इसे अपना सकते हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि विश्वविद्यालय के साथ-साथ पीजीआई में काम करने वाले अन्य रिसर्च फेलो को देय पारिश्रमिक की तुलना में याचिकाकर्ताओं को कम पारिश्रमिक का भुगतान करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई उचितवर्गीकरण के बिना भेदभाव के समानहै। यह उन याचिकाकर्ताओं के शोषण के समान भी है जिनका वर्तमान पारिश्रमिक सरकार में काम करने वाले एक चपरासी के न्यूनतम वेतन से कम है। यह भी तर्क दिया गया है किविज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत; उत्तरदाता प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जो उत्तरदाताओं की ओर से दृढ़ता से विवादित है।

(5) आकस्मिक कामगारों के मामले में समान वेतन के सिद्धांत पर विचार करते हुएउच्चतम न्यायालय ने ऐसी टिप्पणियां की ं जो सामान्य हैं और ऐसे सभी मामलों पर लागू होती हैं। *डाक और टेलीग्राफ के तहत नियोजित दैनिक रेटेड नैमित्तिक श्रम में टी.वी. भारत संघ और अन्य* (1), उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह इनकार करना मजदूरों के शोषण के समान है। सरकार अपनी प्रभावशाली स्थिति का लाभ नहीं उठा सकती है और किसी भी कामगार को भूख से मर रही मजदूरी पर नैमित्तिक मजदूर के रूप में भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। हो सकता है कि नैमित्तिक मजदूर इतनी कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो गया हो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह गरीबी ही है जिसने उन्हें उस स्थिति में पहुंचाया है। सरकार कोएक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए। भारत एक समाजवादी गणराज्य है। इसका तात्पर्य कतिपय महत्वपूर्ण दायित्वों के अस्तित्व से है जिनका निर्वहन राज्य को करना है। काम करने का अधिकार, रोजगार के स्वतंत्र विकल्प का अधिकार, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार, बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार हर उस व्यक्ति का अधिकार जो अपने और परिवार के लिए एक सभ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए उचित और पक्षपात करता है, समान काम के लिए समान वेतन के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर किसी का अधिकार, आराम

(1) 1988 (1) एसएलआर 211।

करने का अधिकार, अवकाश, काम के घंटों पर तर्कसंगत सीमा और वेतन के साथ - आवधिक अवकाश, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार और अपनी पसंद के ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार और काम की सुरक्षा का अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें उचित विधायी और कार्यकारी उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। यह सच है कि इन सभी अधिकारों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वे समाजवादी लक्ष्य का संकेत देते हैं।

(1) 1988 (1) एसएलआर 211।

वाई. *के. मेहता और अन्य* मामले में *भारत संघ और अन्य* (2) उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "जब एक ही मंत्रालय के दो अलग-अलग विंगों के तहत दो पदों की न केवल पहचान की जाती है,बल्किकर्तव्यों की समान प्रकृति के प्रति रूप भी शामिल होते हैं, तो वेतन के मामले में दोनों के बीच भेदभाव करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (डी) में सन्निहित है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 39 (डी) के प्रावधान पर भरोसा किया गया है। संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांत, यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, का उद्देश्य राज्य द्वारा अपनी इच्छा से कार्यान्वित किया जाना है ताकि लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। वास्तव में, अनुच्छेद 37 में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान है कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 39(घ) को हमारे विचार से बाहर रखते हुए भी समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को यदि समान या समान पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों के एक समूह के मामले में लागू नहीं किया जाता है, जो समान योग्यता रखते हैं और उसी प्रकार का कार्य करते हैं, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों का समूह करता है, तो समान कार्य करता है। यह भेदभावपूर्ण होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को केवल हाथ में लिए गए शब्दों पर ही लागू किया जा सकता है। याचिकाकर्ता, स्नातकोत्तर करने के बाद और चयन की नियमित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, रिसर्च फेलो के रूप में नियुक्त होने में सफल रहे। वे देश के भविष्य के वैज्ञानिक हैं। यह विवादित नहीं है कि अन्य परियोजनाओं में,

(2) 1988 (4) एसएलआर 290।

चंदर भान अरोड़ा और अन्य *बहुत/* कुलपति, पंजाब
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (ए.एल. बहरी, जे।)

विश्वविद्यालय के साथ-साथ पीजीआई में आर ईसर्च फेलो को उच्च पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है क्योंकि उन परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार या संबद्ध एजेंसियों द्वारा पहले से ही उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। इसी तरह का काम याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में रिसर्च फेलो के रूप में भी काम कर रहे हैं।

(2) 1988 (4) एसएलआर 290।

इसमें कोई शक नहीं; संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ के इस विभाग को भारत सरकार अथवा संबद्ध एजेंसी के ऐसे विभाग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता है कि इस विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अनुसंधान और विकास की सभी परियोजनाओं में भारत में लागू किया जाना है। ऐसे दिशा-निर्देशों की प्रतियां सभी संबंधितों को पहले ही जारी कर दी गई हैं। मामले को व्यापक रूप से देखते हुए और ऊपर उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि नौकरी करने के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के साथ भारी भेदभाव किया जा रहा है। विश्वविद्यालय केसाथ-साथ पीजीआई में अन्य परियोजनाओं पर उनके समकक्षों को उच्च पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की ओर से उच्च पारिश्रमिक से इस बात पर इनकार करना कि इस तरह का पारिश्रमिकेंद्र शासित प्रदेश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए गाइडल इनों से स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है, स्वीकार्य नहीं है। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित मामलों में देखा है। प्रशासन के लिए यह कठिन नहीं होगा कि वह अनुसंधान के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए निधियों की मांग करे ताकि भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुसंधान विद्वानों को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सके। यह कहने की जरूरत नहीं है कि समान लोगों के बीच वेतन आदि के मामले में भेदभाव बहुत निराशा का कारण बनता है जो अंततःअपेक्षित परिणामों को प्रभावित कर सकता है। यह चंडीगढ़ प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के बीच तय किया जाना है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत ऐसी परियोजनाओं को पूरी तरह से वित्त पोषित करना है या चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिपूर्ति कौन करना है। हालांकि, मूल स्तर पर, चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले में भेदभाव पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(6) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस रिट को अनुमति देते हुए उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं, विश्वविद्यालय में काम करने वाले रिसर्च फेलो के साथ-साथ पीजीआई में भी वही पारिश्रमिक देने के लिए एक परमादेश जारी किया जाता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य

परियोजनाओं में अन्य रिसर्च फेलो को दिया जा रहा है। 1 अप्रैल, 1987 से प्रभावी अपने दिशानिर्देशों के तहत भारत का गठन। पारिश्रमिक की बकाया राशि का भुगतान भी याचिकाकर्ताओं को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा। लागतके बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा।